समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा–16 के अधीन एवं झारखंड़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली– 2015 के नियम–25 के अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 2x800 MW ताप विद्युत परियोजना के लिए रेलवे लाईन साईडिंग निर्माण परियोजना हेतु कुल रकवा– 93.161 एकड़ के अंतर्गत अंचल– गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करने हेतु मौजावार सर्वेक्षण करने की तिथि निर्धारित की जाती है।

क्र0	अंचल	पंचायत	ग्राम	दिनांक	समय
1	गोड्डा	मोतिया	कारीकादो	19.11.2018	10:00 बजे पूर्वाह्न
2			नयावाद	19.11.2018	02:00 बजे अपराह्न
3		पैरडीह	कौड़ीबहियारघाट	20.11.2018	10:00 बजे पूर्वाह्न
4			कौड़ीबहियारमाल	20.11.2018	12:00 बजे मध्याह्न
5			कौड़ीबहियारमाल छिंट	20.11.2018	02:00 बजे अपराह्न
6			गोढ़ीघाट	22.11.2018	10:00 बजे पूर्वाह्न
7			कानाडीह	22.11.2018	02:00 बजे अपराह्न
8	पोड़ैयाहाट	देवबन्धा	गुम्मा	19.11.2018	10:00 बजे पूर्वाह्न

उक्त परियोजना से प्रभावित भू–स्वामियों/भू–अधिवासियों से अनुरोध है कि उपरोक्त तिथियों को सर्वेक्षण करने वाली टीम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का कष्ट करेंगे।

3/11/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :1310/भूअ0 गोड्डा दिनांक :5/11/18

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 1310 / भूअ0 गोड्डा दिनांक : 5/11/18

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को दो स्थानीय भाषा के क्षेत्रीय संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रेस कतरन को जिला भू–अर्जन कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा / पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र के मुखिया / ग्राम पंचायत प्रतिनिधिगण को आम सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे एवं तामिला प्रति जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, गोड्डा / पोड़ैयाहाट को निदेश है कि आम सूचना को सूचना–पट पर प्रदर्शित करते हुए प्रचार–प्रसार डुगडुगी बजाकर प्रभावित क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि तिथिवार सर्वेक्षण करने वाली टीम को सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

3/11/18

उपायुक्त,
गोड्डा।